न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.**
राजस्व वाद संख्या :- 97/2023

वादीः-

1. बेबी पत्नी गोपाल जाति सरगरा निवासी ग्राम भावी सीरवीबास तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
2. तरूण सोलंकी पुत्र किशोर कुमार जाति सरगरा निवासी ग्राम भावी सीरवीबास तहसील बिलाडा जिला जोधपुर जरिये आम मुख्त्यार ओमप्रकाश पुत्र मांगीलाल जाति सीरवी निवासी ग्राम भावी सीरवीबास तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगणः-

1. श्यामलाल पुत्र घीसाराम जाति मेघवाल
2. लीलादेवी पुत्र घीसाराम जाति मेघवाल
3. अशोक पुत्र दुर्गाराम जाति मेघवाल
4. पिनिया पुत्र दुर्गाराम जाति मेघवाल
5. बंटी पुत्र दुर्गाराम जाति मेघवाल
6. पुखाराम पुत्र दुर्गाराम जाति मेघवाल
7. गणेशराम पुत्र हुकमाराम जाति गवारिया
8. मैनादेवी पत्नी स्व.जगदीश पुत्रवधु स्व. गोकलराम जाति मेघवाल
9. बींजाराम पुत्र दीपाराम जाति गवारिया
10. मोहन पुत्र शेराराम जाति मेघवाल
11. जवरीलाल पुत्र शेराराम जाति मेघवाल
12. कैलाश पुत्र शेराराम जाति मेघवाल
13. बिदिया पुत्री शेराराम जाति मेघवाल
14. कचूदेवी पुत्री शेराराम जाति मेघवाल
15. सुरेश कुमार पुत्र हीरालाल जाति मेघवाल ग्राम भावी तहसील बिलाडा
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(भूमिधारी) एवं पदेन उप पंजीयक बिलाडा तहसील बिलाडा

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थितिः- वादीगण - **श्री** मदन लाल चौधरी एडवोकेट।
प्रतिवादी सं. 3, 11 व 12- **श्री** इन्द्रजीत गोयल एडवोकेट।
प्रतिवादी सं0 1,2,4 से 10 व 13 से 15 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
प्रतिवादी सं. 16- सरकारी पैरोकार।

निर्णय **दिनांक :-** 20/03/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या से 15 उपरोक्त पते पर स्थायी रूप से निवास करते है तथा भारतीय नागरिक है। राजस्व ग्राम भावी सीरवीबास तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 3937 रकबा 3.1956 हैक्टेयर किस्म बारानी श्प्रथम, खसरा संख्या 3955 रकबा 1.3915 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय कुल खसरा संख्या 2 कुल रकबा 4.5871 हैक्टेयर आयी हुयी है, जिसके खाता संख्या 1133 चालु जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 के अनुसार है। उपरोक्त खसरान की भूमि वादीगण व

प्रतिवादी संख्या 1 से 15 की सयुक्त खातेदारीसुदा, सयुक्त कब्जा काश्तसुदा भूमि है, जिसमें वादी संरया 1 का कलक्टर 1/12 वाँ हिस्सा, वादी संख्या 2 का 40/189 वां हिस्सा है तथा प्रतिवादी से 15 का हिस्सा चालु जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 मे दर्ज अनुसार है। चालु जमाबन्दी में दर्ज खातेदार अणचीदेवी पत्नी घीसाराम का स्वर्गवास हो चुका है तथा स्व. अणधीदेवी के वारिस प्रतिवादी संख्या से है। इसी प्रकार चालु जमाबन्दी में दर्ज खातेदार गोकलराम पुत्र लाबूराम का भी स्वर्गवास हो चुका है तथा स्व. गोकलराम के पुत्र जगदीश व उनकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो चुका है. स्व. जगदीश की पत्नी जीवित है जो प्रतिवादी संख्या 8 है। इसी प्रकार चालु जमाबन्दी में दर्ज खातेदार दुर्गाराम पुत्र धीसाराम का भी स्वर्गवास हो चुका है तथा स्व. दुर्गाराम के वारिश प्रतिवादी संख्या 3 से 6 है। इसी प्रकार चालु जमाबन्दी में दर्ज खातेदार शेराराम पुत्र लाबूराम का भी स्वर्गवास हो चुका है तथा स्व. शेराराम के वारिस प्रतिवादी संख्या 10 से 14 है। स्व. अणचीदेवी पत्नी धीसाराम, स्व. गोकलराम पुत्र लाबूराम, स्व. दुर्गाराम पुत्र घधीसाराम व स्व. शेराराम पुत्र लाबूराम का फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज नहीं होने से चालु जमाबन्दी में अभी तक उपरोक्त सभी का नाम दर्ज है। उपरोक्त खसरान की भूमि को वादपत्र के आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि भूमि से संबोधित किया जायेगा। वादी संख्या 2 प्राइवेट नौकरी करता है तथा नौकरी में व्यस्त रहता है, इस कारण वादी संख्या 2 द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि में स्थित अपने 40/189 वां हिस्सा के सम्बंध में प्रस्तुत वाद पेश करने हेतु ओमप्रकाश पुत्र मांगीलाल जाति सीरवी निवासी ग्राम भावी सीरवीबास तहसील बिलाड़ा के पक्ष में दिनांक 16.09.2023 को आम मुख्त्यारनामा निष्पादित किया, जो नोटेरी पब्लिक बिलाड़ा द्वारा तस्दीक किया हुआ है, उक्त आम मुख्यारनामा के जरिये वादी संख्या 2 द्वारा दिये गये अधिकार का उपयोग करते हुए प्रस्तुत वाद वादी संख्या 2 की ओर से ओमप्रकाश द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या से 15 का आता संख्या 1133 की चालु जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 में वर्णितानुसार हिस्से की भूमि पर मौके पर जुबानी बंटवाड़ा के अनुसार काबिज व काश्त कर रहे है। वादग्रस्त कृषि भूमि का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 15 के मध्य आज दिन तक जुबानी बंटवाड़ा के अनुसार लिखित व विधिवत बंटवाडा नहीं हुआ है वजही राजस्व नवशे में चालु जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार तरमीम हुई है तथा वादग्रस्त कृषि भूमि की चातु जमाबन्दी मे दर्ज हक व हिस्से के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 15 के नाम से सयुक्त रूप से सयुक्त खातेदारी के रूप में दर्ज है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 15 चालु जमाबन्दी में वर्णित हिस्से अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि पर जुबानी बंटवाड़ा अनुसार काबिज व काश्त कर रहे है। वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में चालु जैमाबन्दी में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 15 के दर्ज हक व हिस्से के संबंध में वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 15 को विधिवत बंटवाड़ा व राजस्व नक्शे में मुताबिक विधिवत बंटवाड़ा के अनुसार तरमीम करवाने हेतु कई बार निवेदन किया परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 15 ने आज दिन तक न तो वादीगण के निवेदन को स्वीकार किया व न ही वादीगण के निवेदन से सहमत हुए व न ही आज दिन तक वादग्रस्त कृषि भूमि का विधिवत बंटवाड़ा किया। बिना बंटवाड़ा के वादीगण न तो अपने हिस्से की भूमि पर कोई सुधार कर सकते है और न ही उसे

उपजाऊ बना सकते है, वनही सरकारी सुविधाओं को प्राप्त कर सकते है। इसलिए वादीगण को चालु जमाबन्दी मे दर्ज अपने हक व हिस्से की वादग्रस्त कृषि भूमि के बंटवाड़ा व राजस्व नक्शे में तरमीम करवाने के लिए यह वाद बाबत् बंटवाड़ा का प्रस्तुत है। दिनांक 10.09.2023 को प्रतिवादी संख्या 1 से 15 द्वारा वाव्यस्त कृषि मि पर बिना बंटवाड़ा किये ही मौके पर अजनबी खरीददारों को उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि वैचान करने हेतु मौका दिखाने हेतु आये। तब वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 15 को कहा कि आप वादग्रस्त जमीन का मौका दिखा रहे हो तब उन्होने चादीगण को कहा कि प्रतिवादी संख्या 1 से 18 अपने हिस्से की जमीन को वैचान करेंगे। तब वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या से 15 को कहा कि आप बिना खंडवादा किये तथा विना वाढीगण की सहमति के आपके हिस्से की भूमि का वैचान अजनबी क्रेता को नही कर सकते हो तो प्रतिवादी संख्या 1 से 15 ने वादीगण की बात को न मानकर वादीगण को एलानिया कहा कि हम तो हमारे हिस्से की भूमि को पड़ौस हार्तो हुए बिना बंटवाड़ा के व तुम्हारी सहमति के बिना अजनबी क्रेता को वैचान करके रहेंगे। यदि तुमने कानूनी कार्यवाही के जरिये रोकने की कोशिश की तो हम तुम्हे भी तुम्हारे हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल कर देंगे तथा तुम्हे तुम्हारे हिस्से से वंचित कर देंगे। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 से 15 उनके द्वारा उपरोक्त अवैध कार्य करने से रोकने हेतु जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इसलिए यह वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत है। वाद कारण दिनांक 10.09.2023 को प्रतिवादी संख्या 1 से 15 द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पर बिना बंटवाड़ा किये ही भौके पर अजनबी खरीददारों को उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि का वैचान करने हेतु मौका दिखाने हेतु आने पर तथा वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 15 को बिना बंटवाड़ा किये तथा बिना वादीगण की सहमति के प्रतिवादी संख्या 1 से 15 को उनके हिस्से की भूमि का वैचान अजनबी क्रेता को नहीं करने की समझाईश करने तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 15 द्वारा वादीगण की बात को न मानकर उल्टा यादीगण को इस आशय की एलानिया धमकी देने घर की यो उनके हिस्से की भूमि को बिना बंटवाड़ा के व बिना यादीगण की सहमति के अजनबी क्रेता को बैचान करके रहेगे तथा वादीगण द्वारा कानूली कार्यवाही के जरिये रोकने की कोशिश की तो वादीगण को भी उसके हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल कर देगे तथा वादीगण को उनके हिस्से की भूमि से वंचित कर देगे व वादीगण व उसके परिवार को जान से खत्म कर देगे तथा आज दिन तक बंटवाडा हेतु सहमत नहीं होने पर वादकारण बमुकाम ग्राम भावी सीरवीबास तहसील बिलाड़ा में पैदा हुआ जो सतत् जारी है।

अतः वाद पत्र मय शपथ पेश कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम भावी सीरवीबास तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 3937 रकबा 3.1956 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3955 रकबा 1.3915 हैक्टेयर कुल खसरा संख्या 2 कुल रकबा 4.5871 हैक्टेयर जिसके खाता संख्या 1133 चालु जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 के अनुसार है, में स्थित वादी संख्या 1 के 1/12 वां हिस्से, वादी संख्या 2 के 40/189 वां हिस्से की भूमि का जुबानी बंटवाड़ा मुताबिक काबिज अनुसार जरिये मीटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाकर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अलग से उपरोक्त हिस्से के अनुसार खातेदारी

दर्ज की जावे व राजस्व नक्शे में उपरोक्त वर्णित हक व हिस्से अनुसार तरमीम की जावे तथा बंटसुदा भूमि में आने-जाने हेतु रास्ते की सुविधा रखी जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो वादीगण के हिस्से अनुसार बंट में आयी खातेदारी भूमि में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल करे तथा न ही अन्य किसी से करावे। खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 से 15 से दिलाया जावे। अन्य दादरसी जो वादीगण के हित में हो सादिर

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का दावा दिनांक 03.03.2025 को प्राथमिक डिक्री किया गया और ग्राम भावी सीरवीबास तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 3937 रकबा 3.1956 हैक्टयर, खसरा नंबर 3955 रकबा 1.3915 हैक्टयर कुल खसरा सं. 2 कुल रकबा 4.5871 हैक्टयर में केवल वादी सं. 1 का 1/12वां व वादी सं. 2 का 40/189 वां हिस्से का राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया गया। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाडा ने बंटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है

क्र.सं.	नाम काश्तकार	खसरा नम्बर	रकबा
1	अणचीदेवी पत्नी घीसाराम दुर्गाराम पुत्र घीसाराम लीलादेवी पुत्री घीसाराम श्यामलाल पुत्र घीसाराम जाति भांबी सा. देह खातेदार	3937	1.1468
	कुल योग	1	1.1468
2	गोकलराम पुत्र लाबूराम, शेराराम पुत्र लाबूराम जाति भांबी सा.देह खातेदार	3937/1	1.1468
	कुल योग	1	1.1468
3	गणेशराम पुत्र हुक्माराम बींजाराम पुत्र दीपाराम जाति गवारिया सा.देह खातेदार	3937/2	0.7645
	कुल योग	1	0.7645
4	बेबी पत्नी गोपाल जाति सरगरा सा.देह खातेदार	3937/3 3955/1	0.1375 0.2447
	कुल योग	2	0.3822
5	तरूण सोलंकी पुत्र किशोर कुमार जाति सरगरा सा.देह खातेदार	3955	0.9708
	कुल योग	1	0.9708
6	सुरेश कुमार पुत्र हीरालाल जाति मेघवाल सा.देह खातेदार	3955/2	0.1760
	कुल योग	1	0.1760

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

उक्त सारणी के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की भूमि मौका स्थिति अनुसार नजरी नक्शा के अनुसार बंट में रखी गयी। बंटवाडा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति पेश नही की इसलिए बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 21.04.2025 के अनुसार वादीगण के वाद को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं

प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 21.04.2025 को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 20/05/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा,
व इजलास **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

वादीगण :- **बनाम** **प्रतिवादीगण**

बेबी श्यामलाल

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :- 97/2023

निर्णय **दिनांक :-** 20/5/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 3, 11, 21 की ओर से श्री इन्द्रजीत गोयल अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1, 2, 4 से 10, व 13 से 15 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही, तथा प्रतिवादी संख्या 16 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 21.04.2025 को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज — मुबलिग — बाबत् —

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह -सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक -की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20/5/25 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :-इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा